न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापुर

राजस्व लोक अदालत : न्याय आपके द्वार 2018 केम्प खांखला

पीठासीन अधिकारी राजलक्ष्मी गहलोत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–74/2018 रे.वाद

अन्तर्गत धारा :–53 आर.टी.एक्ट

अनवान

1. मगना पिता बरदा बलाई निवासी खांखला, तहसील सहाडा जिला भीलवाडा

––वादी

बनाम

1. हीरा पिता कालु बलाई निवासी खांखला तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
2. बैंक ऑफ बडौदा शाखा गंगापुर जिला भीलवाड़ा जरिये शाखा प्रबन्धक।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब सहाडा मु0गंगापुर जिला भीलवाडा

––प्रतिवादीगण

अधिवक्ता वादीः– श्री महेन्द्रसिंह चुण्डावत
अधिवक्ता प्रतिवादीगणः–...............................

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए.

निर्णय दिनांक 27.06.2018

वादी ने अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट के वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम खांखला पटवार हल्का खांखला के बैरून हल्का आबादी मे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 खाता संख्या 567 में अंकित आराजी संख्या 1172 रकबा 0.23, 1173 रकबा 0.31है0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.54है0 भूमि स्थित है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 मौके पर अपने अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है, भूमि संयुक्त खातेदारी में होने से भूमि को उपजाऊ बनाने ऋण लेने में अडचन आती है। वाद में वर्णित बिन्दु संख्या 2 के अनुसार उपरोक्त आराजी में वादी का 1/2 हिस्सा निहीत है। जिसका विभाजन कराया जाकर स्वतंत्र खाता कायम कराया जाए।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाडा (राज.)

प्रकरण विधिवत दर्ज रजिस्टर कियाजाकर प्रतिवादीगण को सम्मन नोटिस दिये गये जिसकी अनुपालना में प्रतिवादी संख्या 01 से 02 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गयें। पैरोकार सरकार उपस्थित औपचारिक पक्षकार होना अंकित कर जवाब पेश नहीं करने से जवाब देही बन्द की गई तथा । वादी अधिवक्ता द्वारा साक्ष्य पेश नहीं करके सीधी बहस करनी चाही बहस सुनी गई अधिवक्तावादिया ने अपने वादपत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान करते हुये वादपत्र स्वीकार करने का अनुरोध किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर गौर किया जिससे स्पष्ट होता है कि ग्राम खांखला पटवार हल्का खांखला मे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 के संयुक्त खातेदारी में दर्ज होकर वादी का 1/2 हिस्सा निहित है जिसका वह विभाजन कराने की अधिकारी है। अतः

–: आदेश :–

वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 आरटीए का स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री बहकवादी विरूद्व प्रतिवादी संख्या 01 के इस आशय से जारी की जाती है कि ग्राम खांखला पटवार हल्का खांखला के आराजी संख्या 1172 रकबा 0.23, 1173 रकबा 0.31है0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.54है0 भूमि में वादी का 1/2 हिस्सा पृथक कायम करते हुये कब्जे का ध्यान में रखते हुये बाई मिटस् एण्ड बाउन्डस के आधार पर विभाजन प्रस्ताव मय नक्शे के पेश करें। डिक्री पालनार्थ तहसीलदार सहाडा को जारी हो पत्रावली वास्ते विभाजन प्रस्ताव पेश होने पर दिनांक 20.8.2018 केम्प मु0 गंगापुर पर पेश हो निर्णय आज दिनांक 27.06.2018 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी गंगापुर

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाडा (राज.)

: प्रारम्भिक डिक्री

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापुर

राजस्व लोक अदालत : न्याय आपके द्वार 2018 केम्प खांखला
पीठासीन अधिकारी राजलक्ष्मी गहलोत (आर.ए.एस.)

शीर्षक

1. मगना पिता बरदा बलाई निवासी खांखला, तहसील सहाडा जिला भीलवाडा

——वादी

बनाम

1. हीरा पिता कालु बलाई निवासी खांखला तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
2. बैंक ऑफ बडौदा शाखा गंगापुर जिला भीलवाड़ा जरिये शाखा प्रबन्धक।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब सहाडा मु0गंगापुर जिला भीलवाडा

——प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक 27.06.2018

प्रकरण संख्या :—74/2018 रे.वाद
दावा अन्तर्गत धारा :—53 आर.टी.ए.

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्रसिंह चुण्डावत पेश होने पर आदेश दिया जाता है ओर डिक्री दी जाती हैं कि :—

वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 आरटीए का स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री बहकवादी विरूद्व प्रतिवादी संख्या 01 के इस आशय से जारी की जाती है कि ग्राम खांखला पटवार हल्का खांखला के आराजी संख्या 1172 रकबा 0.23, 1173 रकबा 0.31है0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.540हे0 भूमि में वादी का 1/2 हिस्सा पृथक कायम करते हुये कब्जे का ध्यान में रखते हुये बाई मिटस् एण्ड बाउन्डस के आधार पर विभाजन प्रस्ताव मय नक्शे के पेश करने हेतु तहरीर जारी हो।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 27.06.2018 को जारी की गई।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाडा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापुर

पीठासीन अधिकारी सी0एल0 शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–74/2018 रे.वाद
अन्तर्गत धारा :–53 आर.टी.एक्ट

शीर्षक

1. मगना पिता बरदा बलाई, निवासी खांखला तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

वादीया

बनाम

1. हीरा पिता कालु बलाई निवासी खांखला तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
2. बैंक ऑफ बडौदा शाखा गंगापुर जिला भीलवाड़ा जरिये शाखा प्रबन्धक।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाडा मु0 गंगापुर जिला भीलवाडा।

प्रतिवादीगण

दिनांक / /2019

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्रसिंह चुण्डावत प्रतिवादीगण के अधिवक्ता की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक / /2019 को मेरे समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है ओर डिक्री दी जाती हैं कि :–

न्याय हित में वादी का वाद पत्र प्राप्त विभाजन स्कीम अनुसार स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या एक के इस आशय के जारी की जाती हैं कि ग्राम खांखला तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा में स्थित निम्नांकित आराजियात विभाजन अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या एक के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता हैं, उसी अनुसार भूमि वादी एवं प्रतिवादी के नाम हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।

वाद में वर्णित कृषि भूमियों के लिये वाद अंतिम डिक्री किया जाता है। वादी मगना पिता बरदा बलाई और प्रतिवादी संख्या एक के मध्य संयुक्त खाते की भूमि का विभाजन निम्नानुसार किया जाता है।

1. मगना पिता बरदा बलाई सा0 देह खातेदार

आ0नं0	रकबा
1172	0.23
1173/2	0.04
कुल किता 2	कुल 0.27 हे0

क्रमश.....

प्रकरण संख्या :–74/2018 रे.वाद
अन्तर्गत धारा :–53 आर.टी.एक्ट

2. हीरा पिता बरदा बलाई सा0 देह खातेदार, रहन बी.ओ.बी. शाखा गंगापुर

आ0नं0	**रकबा**
1173/1	0.27
कुल किता 1	**कुल 0.27 हे0**

अतः संलग्न विभाजन प्रस्ताव के अनुसार राजस्व रेकार्ड में पक्षकारों के पृथक्–पृथक् खाते कायम किये जाने एवं नक्शा ट्रेस अनुसार राजस्व मानचित्र में तरमीम करने का आदेश दिया जाता है। खर्चा पक्षकार अपना–अपना स्वयं वहन करें।

(सी0एल0 शर्मा)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर , भीलवाड़ा(राज0)

डिक्री आज दिनांक / /2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर , भीलवाड़ा(राज0)